उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

दिनाँक 30–03–2020 को अपराह्न: 2:30 बजे कमेटी कक्ष में सम्पन्न कार्य परिषद् के 109वीं बैठक का कार्यवृत्त

कार्यसूची बिन्दु संख्या 109.01

दिनाँक 23–03–2020 को वित्त समिति की सम्पन्न 43बैठक की अनुशंसा पर विचार

4. **जेल में बन्द सजायाफ्ता कैदियों को विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने पर शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट प्रदान किये जाने पर विचार**

वित्त समिति की बैठक दिनांक 29–01–2020 में निर्णय लिया गया था की जेल में बन्द कैदियों को प्रवेश शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान किया जाय। वर्तमान में विश्वविद्यालय के उच्च अधिकारी एवं कारागार अधीक्षक के बीच बैठक के दौरान यह तथ्य सामने आया की सजायाफ्ता कैदी किसी भी प्रकार का शुल्क देने में असमर्थ है। अत: पाठ्यक्रम शुल्क में इन्हें 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाय। अतः प्रकरण वित्त समिति की समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

समिति ने उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसार जेल में बन्द सजायाफ्ता कैदियों को विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों (प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम को छोडकर) में प्रवेश लेने पर शुल्क में 100 प्रतिशत छूट प्रदान किये जाने की संस्तुति की।"

वित्त समिति की अनुशंसा कार्य परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

कार्य परिषद् ने वित्त समिति की अनुशंसा पर विचार किया।

वित्त समिति की अनुशंसा को विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने यथावत स्वीकार किया।

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

दिनाँक 04–07–2020 को सम्पन्न कार्य परिषद् की 108वीं बैठक के कार्यसूची बिन्दु संख्या 108.09 का कार्यवृत्त

कार्यसूची बिन्दु संख्या 108.09

ट्राँसजेण्डरों को विश्वविद्यालय के शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रवेश निःशुल्क एवं जेल के कैदियों को 50% शुल्क में छूट प्रदान किए जाने पर विचार

वर्तमान समय में शासन एवं समाज ट्रांसजेण्डरों के प्रति नए दायित्वों को महसूस किया जा रहा है एवं कई प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। इसी के अनुक्रम में उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज ने ट्रांसजेण्डरों के लिए अपने शैक्षणिक कार्यक्रमों में निःशुल्क प्रवेश दिये जाने का प्रस्ताव है ताकि वे भी शिक्षित होकर समाज की मुख्यधारा से जुड़ सके।

इसी के साथ यह विश्वविद्यालय अपने सामाजिक सरोकारों के प्रति यह महसूस करता है कि प्रत्येक व्यक्ति में चाहे वह अपराधी ही क्यों न हो, सुधार किया जा सकता है। अतः विश्वविद्यालय ने जेल के कैदियों को अपने शैक्षणिक कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए शुल्क में 50% की छूट (केवल प्रायोगिक विषयों को छोड़कर) देने का प्रस्ताव है।

अतः प्रकरण कार्य परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

कार्य परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

कार्य परिषद् ने ट्राँसजेण्डरों को विश्वविद्यालय के शैक्षिक कार्यक्रमों में चिकित्सीय प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् प्रवेश निःशुल्क दिये जाने एवं जेल में बन्द सजायाफ्ता कैदियों को जेल अधीक्षक द्वारा अग्रसारित किये जाने पर शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रवेश शुल्क में 75 प्रतिशत (प्रायोगिक कार्यक्रमों को छोड़कर) की छूट प्रदान किये जाने का निर्णय लिया।

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

दिनाँक 09—03—2019 को सम्पन्न कार्य परिषद् की 102वीं बैठक के कार्यसूची बिन्दु संख्या 102.08 (14) का कार्यवृत्त

कार्यसूची बिन्दु संख्या 102.08

दिनाँक 06—03—2019 को विद्या परिषद् की सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त पर विचार

14. **देश की रक्षा के लिए अपनी प्राणों की आहूति देने वाले सेना एवं अर्द्धसैनिक बलों के शहीद जवानों के आश्रित (पति या पत्नी, पुत्र, अविवाहित या विधवा पुत्री, मृतक शहीद द्वारा अपने जीवनकाल के दौरान वैध रूप से ग्रहीत दत्तक पुत्र एवं अविवाहित दत्तक पुत्री) को इस विश्वविद्यालय द्वारा अपने संचालित किसी एक कार्यक्रम में निःशुल्क प्रवेश दिये जाने पर विचार**

देश की रक्षा के लिए अपनी प्राणों की आहूति देने वाले सेना एवं अर्द्धसैनिक बलों के शहीद जवानों के आश्रित (पति या पत्नी, पुत्र, अविवाहित या विधवा पुत्री, मृतक शहीद द्वारा अपने जीवनकाल के दौरान वैध रूप से ग्रहीत दत्तक पुत्र एवं अविवाहित दत्तक पुत्री) जो कि अचानक आर्थिक विपन्नता की ओर अग्रसर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में उनके आश्रित आर्थिक धनाभाव के कारण उच्च शिक्षा से वंचित न हो जाए, को विश्वविद्यालय द्वारा अपने संचालित किसी एक कार्यक्रम में निःशुल्क प्रवेश दिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने देश की रक्षा के लिए अपनी प्राणों की आहूति देने वाले सेना एवं अर्द्धसैनिक बलों के शहीद जवानों के आश्रित (पति या पत्नी, पुत्र, अविवाहित या विधवा पुत्री, मृतक शहीद द्वारा अपने जीवनकाल के दौरान वैध रूप से ग्रहीत दत्तक पुत्र एवं अविवाहित दत्तक पुत्री) को इस विश्वविद्यालय द्वारा अपने संचालित किसी एक कार्यक्रम में निःशुल्क प्रवेश दिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

विद्या परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि उक्त निर्णय प्रवेश विवरणिका में भी किया जाय।

कार्य परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

कार्य परिषद् ने विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

दिनाँक 04–07–2020 को सम्पन्न कार्य परिषद् की 108वीं बैठक के कार्यसूची बिन्दु संख्या 108.10 का कार्यवृत्त

कार्यसूची बिन्दु संख्या 108.10

उन्नत भारत योजना के अन्तर्गत चयनित गाँवों की महिलाओं को विश्वविद्यालय के किसी भी कार्यक्रमों में प्रवेश शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दिये जाने पर विचार

उन्नत भारत योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें गांव के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया गया है। विश्वविद्यालय ने भी इस योजना के अन्तर्गत अनेक गांवों का चयन किया है। इस योजना के अन्तर्गत चयनित गांव की महिलाओं को विश्वविद्यालय के किसी भी कार्यक्रमों में प्रवेश लिये जाने पर शुल्क में 50% की छूट प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव कार्य परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

कार्य परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

कार्य परिषद् ने उन्नति भारत योजना के अन्तर्गत चयनित गाँवों की महिलाओं को विश्वविद्यालय के किसी भी कार्यक्रमों में प्रवेश शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।